संख्या-15/2017/2608/60-1-17-1/13(72)/06

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 11 अक्टूबर, 2017**

विषय-: पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत बनटंगिया एवं मुसहर जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत बनटंगिया एवं मुसहर जाति की पात्र महिलाओं को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जाना है।

2- अत: आपसे अनुरोध है कि अपने मण्डल/जनपद में उक्त जातियों की पात्र महिला लाभार्थियों को आवेदन पत्र भरवाकर प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर स्वीकृत कर धनराशि स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/2017/2608(1)/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम केवल)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in